तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज कुमरसिंह बनाम राज. सरकार	नम्बर व ता... अहकाम ज... हुक्म की ता... में जारी ह...
10/5/26	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उपस्थित उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 15/5/26 को पेश होवे। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	
15/5/26	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उपस्थित प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया है। पत्रावली मिसल मुताबिक ही नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर होवे। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 14 / 2024

1. कुमरसिंह पुत्र रामसिंह जाति गूजर निवासी ग्राम खरैरा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0।
.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0।
2. दानसहाय
3. धनपत सिंह
4. बलराम सिंह पिसरान हरभान
5. जीतेन्द्र
6. भूपेन्द्र पिसरान धनेश
7. सुफेदा पत्नि धनेश
8. निरपत सिंह
9. श्रीनाथ पिसरान नवलसिंह समस्त जातियान गूजर निवासी खरैरा तहसील उच्चैन।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11,136 एल.आर.ए

उपस्थिति

1. श्री दुलीचन्द शर्मा एडवोकेट प्रार्थी
2. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट अप्रार्थी

निर्णय **दिनांकः—15.04.2026**

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी आराजी खसरा नम्बर 868 / 0.95है0 ग्राम खरैरा का रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थी की इस आराजी के तरफ उत्तर में अप्रार्थीगण सं0 2 लगा0 4 की खातेदारी की आराजी हाल ख0नं0 866 / 0.33है0 व 867 / 0.52है0 स्थित है तथा तरफ दक्षिण में अप्रार्थीगण संख्या 5 लगा0 9 की खातेदारी की आराजी हाल खसरा नम्बर 869 / 0.39है0 स्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की उक्त आराजी के तरफ पूर्व आम रास्ता स्थित है तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 लगा0 4 की आराजी खसरा नम्बर 866,867 के तरफ उत्तर ग्राम खरैरा व ग्राम फतेहपुर का मैडा स्थित है जहां गांव खरैरा का रकवा समाप्त हो गया है। हाल आराजी खसरा नम्बर 866, 867, 868 एक ही साविक खसरा नम्बर 603 रकवा 11 बीघा 03 विस्वा से सैटिलमेंट 2005 के दौरान बनाये गये है। इस साविक खसरा नम्बर 603 के कुल रकवा 11 बीघा 03 बिस्वा में से तरफ दक्षिण के 05 बीघा 18 बिस्वा से बनाया गया खसरा नम्बर 603मि0 प्रार्थी की खातेदारी में रहा है जिस रकवा का सैटिलमेंन्ट में हाल खसरा नम्बर 868 / 0.95है0 बनाया गया है साविक खसरा नम्बर 603 के शेष रकवा 5 बीघा

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

05 विस्वा तरफ उत्तर को अप्रार्थीगण संख्या 2 लगा0 4 की खातेदारी में रहा है जिसके सैटिलमेंन्ट में हाल खसरा नम्बर 866/0.33, 867/0.52है0 बनाये गये है परन्तु इस साविक खसरा नम्बर 603 रकवा 11 बीघा 03 विस्वा के उक्त मिन नम्बरान की मुताबिक मौका पुराने नक्शे में प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 लगा0 4 के अलग अलग रकवा की कोई तरमीम नहीं हो रही थी और यह साविक खसरा नम्बर 603 एक ही शक्ल में था इस साविक खसरा नम्बर 603 की माप मुताबिक पुराने राजस्व नक्शा तरफ पूर्व 89 गठ्ठा, पश्चिम 60+26=86 गठ्ठा तथा तरफ उत्तर 26+31=57 गठ्ठा, तरफ दक्षिण 38 गठ्ठा दर्ज रिकार्ड है साविक खसरा नम्बर 603 के तरफ दक्षिण स्थित अप्रार्थी संख्या 5 लगा0 9 के साविक खसरा नम्बर 604 की माप तरफ पूर्व 15+10=25 गठ्ठा, तरफ पश्चिम 25 गठ्ठा व तरफ उत्तर 38 गठ्ठा, तरफ दक्षिण 26 गठ्ठा दर्ज रिकार्ड है।

आराजी साविक खसरा नम्बर 603 से सैटिलमेंट 2005 के दौरान बनाये गये हाल खसरा नम्बरान 866,867,868 व साविक खसरा नम्बर 604 के बने हाल खसरा नम्बर 869 की सीमा रेखाओं को नये नक्शे में मुताविक रकवा सीमांकन नहीं किया गया है जो नक्शे में गलत सीमांकित है। प्रार्थी की खातेदारी के हाल खसरा नम्बर 868 के रकवा 0.95है0 को नक्शे में प्रदर्शित करने बाली मौजूदा अंकित सीमा रेखायें गलत अंकित है जिनसे माप की गणना करने पर प्रार्थी की आराजी का निर्धारित रकवा 0.95है0 पूरा नहीं होता है। प्रार्थी का यह रकवा साविक रिकार्ड में भी 5 बीघा 18 विस्वा था जिसकी नई माप में 0.95 है0 अधिकार अभिलेख में सही दर्ज है परन्तु नक्शे की सीमा रेखाओं की अशुद्धि से प्रार्थी का यह रकवा 0.95है0 से कम होकर लगभग 0.72है0 ही फलित होता है जो मौजूदा नक्शे में सीमा रेखाओं की मेजर अशुद्धि है। प्रार्थी को उक्त तथ्य की जानकारी दिनांक 29.04.2024 को नक्शा की नकल पटवारी हल्का से लेने पर हुई हैं जिसकी शुद्धि के बाबत् प्रार्थी ने जब पटवारी हल्का से निवेदन किया तो उनके द्वारा इस बाबत् अदालत मजाज से आदेश लाने के लिये कहा जिसके कारण प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 लगा0 4 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र सच्चाई को छिपाते हुये झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया है। प्रार्थी जिस राजस्व नक्शे में दुरूस्ती कराना चाहता है उस नक्शे में कोई गलती नहीं है और न ही कानूनन उक्त नक्शे में दुरूस्ती की जा सकती है गलती साविक नक्शे में कोई गलती नहीं है और ना ही कानूनन उक्त नक्शे में दुरूस्ती की जा सकती है। गलती साविक नक्शे में है और साविक नक्शे में ही दुरूस्ती की आवश्यता है क्योंकि साविक खसरा नम्बर में 603 का मुताबिक नक्शा साविक के पूर्वी डौल 89 गठ्ठा एवं पश्चिम 60+26=86 गठ्ठा जिसका मध्यान्तर हो गया 87.5 गठ्ठा इसी प्रकार उत्तर के 26+31=57 गठ्ठा एवं दक्षिण के 38 गठ्ठा जिसका मध्यान्तर हो गया 47.5 गठ्ठा 87.50*47.5 का क्षेत्रफल होता है 10 बीघा 07 विस्वा जबकि मुताबिक जमाबंदी के उक्त रकवा है 11 बीघा 03 विस्वा ऐसी स्थिति में 16 विस्वा भूमि पुराने नक्शे के मुताबिक कम पडती है एवं जब दौराने सैटलमेंन्ट उक्त साविक राजस्व नक्शा के हाल नक्शा बनाया गया है ऐसी स्थिति में

उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर)

सांविक नक्शे से हाल नक्शा बनाते समय कोई गलती नहीं हुई है जिसमें सुधार किया जा सके प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नोन मैन्टेबिल एवं काबिल खारिजी है।

क्योंकि सांविक खसरा नम्बर 603 की पूर्वी डौल के गठ्ठे थे 89 यानि की 178 मीटर जबकि प्रार्थी चाहता है कि हाल राजस्व नक्शा में पूर्वी डौल के गठ्ठे 95 हो अपनी इसी इच्छा की पूर्ती हेतु प्रार्थी ने हल्का पटवारी से मिल्लत कर 178 के स्थान पर हाल नक्शे में 102+88=190 पैमाईश दिखाई है जोकि हल्का पटवारी की मिल्लत को प्रमाणित करता है। सांविक खसरा नक्शा के मुताबिक हम अप्रार्थी एवं प्रार्थी की पूर्वी डौल 178 मीटर होनी चाहिए जबकि हल्का पटवारी रिपोर्ट में उसे 190 मीटर दिखाया है ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण दोनों का ही रकवा सांविक खसरा नक्शा से लगभग 12 मीटर बढ जाता है। चुंकि सच्चाई यह है कि उक्त खसरा नम्बर 866, 867 गांव खरैरा एवं फतेहपुर के मेडे का नम्बर है और प्रार्थी भी इस तथ्य को स्वीकार करता है एवं यदि उक्त नाप के आधार पर चला जाता है तो खरैरा का मेडा 12 मीटर फतेहपुर में बढ जायेगा एवं गांव फतेहपुर के मेडे से लगा हुआ तथा उक्त पार्थना पत्र में वर्णित आराजी से लगा हुआ फतेहपुर के मेडे से लगा हुआ तथा उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी से लगा हुआ फतेहपुर का खसरा नम्बर हम अप्रार्थीगण का है एवं ऐसी स्थिति में हम अप्रार्थीगण को 12 मीटर चौडाई में एवं लम्बाई के समकक्ष लगभग 16 विस्वा भूमि से महरूम होना पडेगा एवं उतनी ही भूमि सांविक खसरा नक्शा के मुताबिक कम पड रही थी प्रार्थना पत्र प्रार्थी इसी बिनाय पर काबिल खारिजी है।

अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि खसरा नम्बर 866,867,868 जो कि पुराने खसरा नम्बर 603 से बनये हुये हैं, में खसरा नम्बर 868 की चाही गयी क्षेत्रफल पूर्ति हेतु आस–पास के खसरा नम्बरान को पैमाने से नाप कर देखा गया तो पाया कि कुछ खसरा नम्बरान केवल स्वयं का रकवा पूर्ति भी नहीं करते है। चुंकि उक्त नये राजस्व नक्शे पुनः भू प्रबंध के दौरान DILRMP के तहत तैयार हुये हैं एवं एक खसरा नम्बर के क्षेत्रफल को पूर्ण करने पर पूरे राजस्व ग्राम का देह हिल जायेगा। अतःएव ऐसी स्थिति में पटवार स्तर पर उक्त खसरा नम्बरान की रकवा पूर्ति हेतु रिपोर्ट दिया जाना संभव नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 5 लगा0 9 बाबजूद सूचना के अनुपस्थित होने के कारण इनके विरूद्ध दिनांक 16.03.2026 को एकपक्षीय कार्यबाही अमल में लायी गयी।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अभिभाषक पार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी आराजी खसरा नम्बर 868/0.95है0 ग्राम खरैरा का रिकार्डेड खातेदार है इस आराजी के तरफ उत्तर में हाल ख0नं0 866/0.33है0 व 867/0.52है0 तथा तरफ दक्षिण में हाल खसरा नम्बर 869/0.39है0 स्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की उक्त आराजी के तरफ पूर्व आम रास्ता स्थित है तथा आराजी खसरा नम्बर 866,867 के तरफ उत्तर ग्राम खरैरा व ग्राम फतेहपुर का मैडा स्थित है जहां गांव खरैरा का रकवा समाप्त हो गया है। हाल आराजी खसरा नम्बर 866, 867, 868 एक ही सांविक खसरा नम्बर 603 रकवा 11 बीघा 03 विस्वा से सैटिलमेंट 2005 के दौरान बनाये गये है। इस सांविक खसरा नम्बर 603 के कुल रकवा 11 बीघा 03 बिस्वा में से तरफ दक्षिण के 05 बीघा 18 बिस्वा से बनाया गया खसरा नम्बर 603मि0 प्रार्थी की खातेदारी में रहा है जिस रकवा का सैटिलमेंन्ट में हाल

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

खसरा नम्बर 868/0.95है0 बनाया गया है साविक खसरा नम्बर 603 के शेष रकवा 5 बीघा 05 विस्वा तरफ उत्तर को अप्रार्थीगण संख्या 2 लगा0 4 की खातेदारी में रहा है जिसके सैटिलमेंन्ट में हाल खसरा नम्बर 866/0.33, 867/0.52है0 बनाये गये है परन्तु इस साविक खसरा नम्बर 603 रकवा 11 बीघा 03 विस्वा के उक्त मिन नम्बरान की मुताबिक मौका पुराने नक्शे में प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 लगा0 4 के अलग अलग रकवा की कोई तरमीम नहीं हो रही थी और यह साविक खसरा नम्बर 603 एक ही शक्ल में था। इस साविक खसरा नम्बर 603 की माप मुताबिक पुराने राजस्व नक्शा तरफ पूर्व 89 गठ्ठा, पश्चिम 60+26=86 गठ्ठा तथा तरफ उत्तर 26+31=57 गठ्ठा, तरफ दक्षिण 38 गठ्ठा दर्ज रिकार्ड है साविक खसरा नम्बर 603 के तरफ दक्षिण स्थित अप्रार्थी संख्या 5 लगा0 9 के साविक खसरा नम्बर 604 की माप तरफ पूर्व 15+10=25 गठ्ठा, तरफ पश्चिम 25 गठ्ठा व तरफ उत्तर 38 गठ्ठा, तरफ दक्षिण 26 गठ्ठा दर्ज रिकार्ड है। आराजी साविक खसरा नम्बर 603 से सैटिलमेंट 2005 के दौरान बनाये गये हाल खसरा नम्बरान 866,867,868 व साविक खसरा नम्बर 604 के बने हाल खसरा नम्बर 869 की सीमा रेखाओं को नये नक्शे में मुताबिक रकवा सीमांकन नहीं किया गया है जो नक्शे में गलत सीमांकित है। खसरा नम्बर 868 के रकवा 0.95है0 को नक्शे में प्रदर्शित करने बाली मौजूदा अंकित सीमा रेखायें गलत अंकित है जिनसे माप की गणना करने पर प्रार्थी की आराजी का निर्धारित रकवा 0.95है0 पूरा नहीं होता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नक्शे में शुद्धि के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया है।

अभिभाषक अप्रार्थीगण संख्या 2,3,4 के द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी जिस राजस्व नक्शे में दुरूस्ती कराना चाहता है उस नक्शे में कोई गलती नहीं है और न ही कानूनन उक्त नक्शे में दुरूस्ती की जा सकती है गलती साविक नक्शे में कोई गलती नहीं है और ना ही कानूनन उक्त नक्शे में दुरूस्ती की जा सकती है। गलती साविक नक्शे में है और साविक नक्शे में ही दुरूस्ती की आवश्यता है क्योंकि साविक खसरा नम्बर में 603 का मुताबिक नक्शा साविक के पूर्वी डौल 89 गठ्ठा एवं पश्चिम 60+26=86 गठ्ठा जिसका मध्यान्तर हो गया 87.5 गठ्ठा इसी प्रकार उत्तर के 26+31=57 गठ्ठा एवं दक्षिण के 38 गठ्ठा जिसका मध्यान्तर हो गया 47.5 गठ्ठा 87.50*47.5 का क्षेत्रफल होता है 10 बीघा 07 विस्वा जबकि मुताबिक जमाबंदी के उक्त रकवा है 11 बीघा 03 विस्वा ऐसी स्थिति में 16 विस्वा भूमि पुराने नक्शे के मुताबिक कम पडती है एवं जब दौराने सैटलमेंन्ट उक्त साविक राजस्व नक्शा के हाल नक्शा बनाया गया है ऐसी स्थिति में साविक नक्शे से हाल नक्शा बनाते समय कोई गलती नहीं हुई है जिसमें सुधार किया जा सके। साविक खसरा नक्शा के मुताबिक हम अप्रार्थी एवं प्रार्थी की पूर्वी डौल 178 मीटर होनी चाहिए जबकि हल्का पटवारी रिपोर्ट में उसे 190 मीटर दिखाया है ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण दोनों का ही रकवा साविक खसरा नक्शा से लगभग 12 मीटर बढ जाता है। चुंकि सच्चाई यह है कि उक्त खसरा नम्बर 866, 867 गांव खरैरा एवं फतेहपुर के मेडे का नम्बर है और प्रार्थी भी इस तथ्य को स्वीकार करता है एवं यदि उक्त नाप के आधार पर चला जाता है तो खरैरा का मेडा 12 मीटर फतेहपुर में बढ जायेगा एवं गांव फतेहपुर के मेडे से लगा हुआ तथा उक्त पार्थना पत्र में वर्णित आराजी से लगा हुआ फतेहपुर के मेडे से लगा हुआ तथा

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी से लगा हुआ फतेहपुर का खसरा नम्बर हम अप्रार्थीगण का है एवं ऐसी स्थिति में हम अप्रार्थीगण को 12 मीटर चौडाई में एवं लम्बाई के समकक्ष लगभग 16 विस्वा भूमि से महरूम होना पडेगा एवं उतनी ही भूमि साविक खसरा नक्शा के मुताबिक कम पड रही थी प्रार्थना पत्र प्रार्थी इसी विनाय पर नोन मैन्टेविल एवं काबिल खारिजी है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार उच्चैन से प्रस्तुत जवाब एवं पटवार हल्का रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में इस तथ्य का कही भी अंकन नहीं किया है कि प्रार्थी होने वाला रकवा किन–किन संभावित खसरों में निकलता है एवं प्रार्थी द्वारा जिन खातेदारान को पक्षकार मुकदमा बनाया है उनके खसरा नम्बरों की नाप करने पर भी प्रार्थी का रकवा पूर्ती नहीं होता है एव ंना ही तहसीलदार उच्चैन के द्वारा विवादित आराजीयात के नक्शे में शुद्धि से संबंधित अभिशंपा की गई है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी तकनीकी आधार पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है:–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 15.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसोलिया(आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)